भारत सरकार
गृह मंत्रालय
राज्य सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 696
08 फरवरी, 2023/19 माघ, 1944 (शक) को उत्तर के लिए

देश में साइबर अपराध प्रकोष्ठ

696. श्री एस. निरंजन रेड्डी:

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) देश में कितने जिलों में समर्पित साइबर अपराध प्रकोष्ठ है, तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ख) सरकार द्वारा साइबर अपराधों से निपटने में पुलिस कर्मियों को प्रशिक्षित करने के लिए क्या उपाय किए जा रहे हैं, तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) क्या साइबर अपराधों के क्षेत्र में साइबर सूचनाओं और समन्वय को साझा करने के लिए एक अंतर-राज्य मंच विद्यमान है अथवा सरकार की ऐसा मंच बनाने की योजना है?

उत्तर

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अजय कुमार मिश्रा)

(क): पुलिस अनुसंधान एवं विकास ब्यूरो (बीपीआरएंडडी) साइबर क्राइम पुलिस स्टेशन से संबंधित सांख्यिकी आंकड़ों को अपने प्रकाशन "पुलिस संगठनों के आंकड़े" में संकलित और प्रकाशित करता है। नवीनतम प्रकाशित रिपोर्ट वर्ष 2022 की है। बीपीआरएंडडी द्वारा प्रकाशित आंकड़ों के मुताबिक, दिनांक 01.01.2022 की स्थिति के अनुसार साइबर क्राइम पुलिस स्टेशनों का राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार ब्यौरा अनुलग्नक-I में दिया गया है। राज्य/संघ राज्य क्षेत्र आवश्यकता के अनुसार, पुलिस स्टेशन स्थापित करते हैं।

(ख) एवं (ग): भारत के संविधान की सातवीं अनुसूची के अनुसार 'पुलिस' और 'लोक व्यवस्था' राज्य के विषय हैं। राज्य/संघ राज्य क्षेत्र अपनी विधि प्रवर्तन एजेंसियों (एलईए) के माध्यम से साइबर अपराध समेत अपराधों की रोकथाम करने, उनका पता लगाने, जांच करने और अभियोजन चलाने के लिए प्राथमिक रूप से जिम्मेदार हैं।

केंद्र सरकार ने साइबर अपराधों से निपटने के लिए एलईए के क्षमता निर्माण सहित राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के प्रयासों में सहायता करने हेतु विभिन्न उपाय किए हैं, जिनमें अन्य बातों के साथ-साथ निम्नलिखित शामिल हैं:

(i) गृह मंत्रालय ने देश में सभी प्रकार के साइबर अपराध से समन्वित और व्यापक तरीके से निपटने के लिए ईको-सिस्टम उपलब्ध कराने हेतु "भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र (आई4सी)" स्थापित किया है।

(ii) गृह मंत्रालय ने राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को उनके क्षमता निर्माण, जैसे कि साइबर फोरेंसिक-सह-प्रशिक्षण प्रयोगशालाओं की स्थापना करने, कनिष्ठ साइबर परामर्शदाताओं की नियुक्ति और विधि प्रवर्तन एजेंसियों (एलईए) के कार्मिकों, लोक अभियोजकों तथा न्यायिक अधिकारियों के प्रशिक्षण के लिए 'महिलाओं और बच्चों के प्रति साइबर अपराध की रोकथाम (सीसीपीडब्ल्यूसी)' नामक योजना के तहत वित्तीय सहायता प्रदान की है। अब तक, 33 राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में साइबर फोरेंसिक-सह-प्रशिक्षण प्रयोगशालाएं शुरू (कमीशन) की गई हैं।

(iii) जांच और अभियोजन का बेहतर ढंग से निपटान करने के लिए, विधि प्रवर्तन एजेंसियों के कार्मिकों, अभियोजकों और न्यायिक अधिकारियों हेतु प्रशिक्षण पाठ्यक्रम तैयार किया गया है। राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करने का अधिदेश दिया गया है। अब तक, 20,300 से अधिक विधि प्रवर्तन एजेंसी (एलईए) कार्मिकों, न्यायिक अधिकारियों और अभियोजकों को साइबर अपराध संबंधी जागरूकता, जांच, फॉरेंसिक आदि में प्रशिक्षण प्रदान किया गया है।

(iv) गृह मंत्रालय ने महिलाओं और बच्चों के प्रति साइबर अपराधों पर विशेष ध्यान देते हुए, सभी प्रकार की साइबर अपराध घटनाओं की ऑनलाइन सूचना देने के लिए नागरिकों हेतु एक केंद्रीयकृत तंत्र उपलब्ध कराने हेतु राष्ट्रीय साइबर अपराध रिपोर्टिंग पोर्टल www.cybercrime.gov.in को कार्यशील बनाया है। इस पोर्टल पर सूचित की

गई घटनायें, कानून के प्रावधानों के अनुसार आगे कार्रवाई करने के लिए स्वचालित रूप से संबंधित राज्य/संघ राज्य क्षेत्र की विधि प्रवर्तन एजेंसी के पास पहुँच जाती है। साइबर शिकायतों को ऑनलाइन दर्ज करने में सहायता प्राप्त करने के लिए, एक टोल-फ्री हेल्पलाइन नम्बर '1930' शुरू किया गया है।

(v) आई4सी के तहत 'साइट्रेन' पोर्टल नामक मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्सेज (एमओओसी) प्लेटफॉर्म विकसित किया गया है। साइट्रेन पोर्टल प्रमाणन के साथ साइबर अपराध की जांच, फॉरेंसिक, अभियोजन आदि के महत्वपूर्ण पहलुओं पर ऑनलाइन पाठ्यक्रम के माध्यम से पुलिस अधिकारियों/न्यायिक अधिकारियों के क्षमता निर्माण में मदद करता है। अब तक, राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के 28,700 से अधिक पुलिस अधिकारी पंजीकृत हैं और पोर्टल के माध्यम से 7,800 से अधिक प्रमाण पत्र जारी किए गए हैं।

***

अनुलग्नक-I

साइबर क्राइम पुलिस स्टेशनों का राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार ब्यौरा

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	साइबर क्राइम पुलिस स्टेशन की संख्या
1	आंध्र प्रदेश	3
2	अरुणाचल प्रदेश	1
3	असम	0
4	बिहार	1
5	छत्तीसगढ़	1
6	गोवा	1
7	गुजरात	24
8	हरियाणा	8
9	हिमाचल प्रदेश	1
10	झारखंड	7
11	कर्नाटक	8
12	केरल	19
13	मध्य प्रदेश	1
14	महाराष्ट्र	46
15	मणिपुर	1
16	मेघालय	1
17	मिजोरम	1
18	नागालैंड	1
19	ओडिशा	15
20	पंजाब	2
21	राजस्थान	2
22	सिक्किम	0
23	तमिलनाडु	46
24	तेलंगाना	3
25	त्रिपुरा	0
26	उत्तर प्रदेश	18
27	उत्तराखंड	2
28	पश्चिम बंगाल	31
29	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	0
30	चंडीगढ़	0
31	दादरा और नगर हवेली तथा दमण और दीव	0
32	दिल्ली	15
33	जम्मू और कश्मीर	2
34	लद्दाख	0
35	लक्षद्वीप	0
36	पुदुचेरी	1
	कुल	**262**

स्रोत: बीपीआर एंड डी प्रकाशन "पुलिस संगठनों के आंकड़े", 2022